(26)

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

पत्र सं NER-HQ0PERS(POLI)/3/2020-O/o SPO/HQ/HQ/NER दिनांक 19-10-2020

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :– रेल कर्मचारी द्वारा सेवा काल के दौरान दूसरी पत्नी/पति का नाम सेवा अभिलेखों में दर्ज कराने के सम्बन्ध में ।

....

एक परिवाद की जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि एक रेल कर्मचारी ने पहली पत्नी की मृत्यु के बाद, सेवा काल में ही एक अन्य महिला से दूसरी शादी कर लिया था और कर्मचारी के आवेदन पर प्रशासन द्वारा दूसरी पत्नी नाम समस्त सेवा अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दे दिया गया था। प्रशासन का अनुमोदन मिलने के बाद रेल कर्मचारी ने नामन फार्म संख्या पू.उ./पी.आई. 5 (संशोधित) भरकर दूसरी पत्नी को प्रथम नामित व्यक्ति के रूप में नामित भी कर दिया था।

कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर दूसरी पत्नी के पक्ष में समापक भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन जारी कर दिया गया था। किन्तु इसी बीच पहली पत्नी के पुत्र द्वारा भी स्वंम के पक्ष में समापक भुगतान एवं अनुकम्पा नियुक्ति का अनुरोध किये जाने से मामला विवादित हो गया । मामला विवादित होने से प्रशासन द्वारा जॉच कराने पर यह पाया गया कि रेल कर्मचारी की दूसरी पत्नी पहले से ही शादी शुदा थी और उन्होने बिना विधिक तलाक के अपने पहले पति को छोड़कर रेल कर्मचारी के साथ शादी कर लिया था । इस प्रकार वह रेल कर्मचारी की विधिक पत्नी नही है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रणाली सुधार निम्नवत है–

"किसी रेल कर्मचारी द्वारा दूसरे विवाह की स्थिति में यदि वह दूसरे पति/पत्नी का नाम सेवा अभिलेख में दर्ज करने का आग्रह करता/करती है तो दूसरे पत्नी/पति का नाम सेवा अभिलेखों यथा पास घोषणा पत्र/मेडिकल कार्ड आदि में दर्ज करने का आदेश देने से पूर्व प्रशासन द्वारा आवश्यक सावधानी/चेक करने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि कर्मचारी द्वारा दूसरा विवाह करते समय रेल सेवा आचण नियम का पालन किया गया है।"

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ।

(प्रदीप कुमार)
वकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

19-10-2020

19.X.20